"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 जून 2005—ज्येष्ठ 18, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-18/2005/वाक. (आब.)/पांच (32).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 18 में,—

(एक) उपनियम (2) के खण्ड (ख) में शब्दों "और प्रति निप बोतल की दर प्रति क्वार्ट बोतल की दर की एक चौथाई होगी" के स्थान पर शब्दों "प्रति निप बोतल की दर प्रति क्वार्ट बोतल की दर की एक चौथाई होगी, और प्रति मिनिएचर बोतल की दर प्रति क्वार्ट बोतल की दर की एक चौथाई की आधी होगी." को प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) उपनियम (2) के खण्ड (ख) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में अंकों एवं शब्दों "191 मिलीलीटर से कम किन्तु 142 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल निप बोतल के रूप में वर्गीकृत की जाएगी," के स्थान पर अंकों एवं शब्दों "101 मिलीलीटर से कम किन्तु 60 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल मिनीएचर बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी, 191 मिलीलीटर से कम किन्तु 142 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल निप बोतल के रूप में वर्गीकृत की जाएगी," प्रतिस्थापित किए जाएं.

2. उपरोक्त संशोधन इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2005

क्रमांक एफ-10-18/2005/वाक. (आब.)/पांच (32).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-18/2005/वाक. (आब.)/पांच (32), दिनांक 8 जून, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 8th June 2005

NOTIFICATION

No. F-10-18/2005/CT (Ex.)/V (32).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules, in Rule 18,—

(i) in clause (b) of sub-rule (2) for the words "and the rate per nip bottle shall be one fourth of the rate per quart bottle," the words "the rate per nip bottle shall be one fourth of the rate per quart bottle, and the rate per miniature bottle shall be half of one fourth of the rate per quart bottle." shall be substituted.

(ii) in the explanation given below clause (b) of sub-rule (2) for the words and figures "A bottle of capacity of less than 191 millilitres but not less than 142 millilitres shall be classed as a nip bottle" the words and figures "A bottle of capacity of less than 101 millilitres but not less than 60 millilitres shall be classed as a miniature bottle, a bottle of capacity of less than 191 millilitres but not less than 142 millilitres shall be classed as a nip bottle," shall be substituted.

2. The above amendments shall be effective from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.